Regarding alleged coal-pilferage in Jharkhand-Laid

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) **:** गोविंदपुर क्षेत्र में खरखरी कोयला खनन परियोजना को पुनः प्रारंभ करने के लिए राजस्व साझाकरण के आधार पर एमडीओ मॉडल के तहत 25 वर्षों तक कार्य करने के लिए हिलटॉप हायरिंग प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है । किसी बंद कोयला खनन परियोजना या चालू परियोजना के विस्तार या नवीनीकरण के मामले में नियमों और सर्वोच्च न्यायालय तथा हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पर्यावरण मानकों का पालन किए बिना तथा R&R नीति 2012 के अनुसार परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन किए बिना कार्य प्रारंभ करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है । लेकिन ग्रामीणों की रैयती जमीन को बिना अधिग्रहित किए ही उस पर चहारदीवारी बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था । पुलिस द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि एमडीओ की ओर से एरिया-3 के जीएम द्वारा जिस ठेकेदार को चारदीवारी का काम दिया गया था,उसके परिसर से 500 टन से अधिक अवैध कोयला बरामद किया गया । उसके परिसर से इतनी बड़ी मात्रा में चोरी का कोयला बरामद होना झारखंड में कोयला चोरी की गंभीर होती स्थिति को बताता है । मैं कोयला मंत्री से इस विषय में जांच करने का अनुरोध करता हूँ ।

12.05½ hrs